न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/171/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/514

अपीलार्थी
श्री नीरज गुप्ता, एडवोकेट
नि., ग्राम, पो. दहमी,
तहसील–बहरोड, जिला–अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी
1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाडी (अलवर) रजिस्ट्रार

प्रवेश तिथि :: 28.11.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.01.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत RTI online web portal पर आवेदन–पत्र दिनांकः 08.09.2022 के माध्यम से आ.ख.नं. 125, 131, 132 व 138 ग्राम–दहमी,तह0 बहरोड के पेमेंट ड्यूज के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण RTI online web portal पर अपील प्रा0–पत्र दिनांकः 05.11.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतुं कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 15299 दिनांकः 09.12.22 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत जवाब का विधिक परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त, सूचना आवेदन को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाडी (अलवर) रजिस्ट्रार को अन्तरित करते हुए इस न्यायालय को प्रति पृष्ठांकित की गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रतिकूल है।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत यह प्रावधान है कि "इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु **किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पॅाच दिनों के पश्चात् नही किया जाएगा।**"
9. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधान को नजरअंदाज कर प्रा0पत्र का अन्तरण किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

जिला कलक्टर, अलवर

10. अस्तु **प्रथम अपील स्वीकार** की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के **प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 08.9.2022 में वांछित** सूचना, **अन्तरित कार्यालय/राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाडी** (अलवर) रजिस्ट्रार **से बिन्दुवार प्राप्त कर निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को अविलम्ब** उपलब्ध **कराई जाना सुनिश्चित करें।**

11. न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

12. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाडी (अलवर) रजिस्ट्रार को भी प्रेषित की जावे।

13. आज दिनांकः 10.01.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, अलवर (राज.)